कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 196/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 23.05.2026

थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

थाना कप्तानगंज पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोकशी की घटना में संलिप्त 01 गोतस्कर घायल/गिरफ्तार ।

दिनांक 12.05.2026 को ग्राम कुशमहरा CHC छितुवा के पीछे प्रतिबंधित पशु के अवशेष बरामदगी प्रकरण में वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार।

अभियुक्त के पास से 01 अवैध तमंचा .315 बोर, 02 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

घायल बदमाश हिस्ट्रीशीटर, गोवध, चोरी एवं गैंगस्टर एक्ट का अपराधी है।

प्रतिबंधित पशुओं का वध कर मांस की बिक्री करने वाले गिरोह के विरुद्ध पुलिस की प्रभावी कार्यवाही।

प्रतिबन्धित पशुओं का वध कर बिक्री किया करते थे बदमाश

घटना/पुलिस मुठभेड़ का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर अजय प्रताप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक- 22/23.05.2026 की रात्रि लगभग 02:20 बजे थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग एवं रात्रि गश्त की जा रही थी।

➡ इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में दिनांक 12.05.2026 को ग्राम कुशमहरा CHC छितुवा के पीछे हुई गोकशी की घटना, जिसके सम्बन्ध में थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 143/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था, से संबंधित बाइक सवार 02 अपराधी धरौली मोड़ कूड़ा घर कुशमहरा की तरफ आ रहे हैं तथा पुनः किसी गौकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष कप्तानगंज मय पुलिस बल द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई।

➡ स्वयं को पुलिस बल से घिरता देख बदमाशों द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस बल द्वारा आत्मसमर्पण करने की पर्याप्त चेतावनी दी गई, किन्तु बदमाश द्वारा पुनः फायरिंग का प्रयास किया गया। जवाबी कार्यवाही करते हुए पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान-

1. आरिफ उर्फ फुसी पुत्र यूनुस निवासी सारैन थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष (दाहिने पैर में गोली लगने से घायल)

फरार अभियुक्त

1. आजाद पुत्र फिरोज निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष (फरार अभियुक्त)

➡ घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है।

➡ घायल बदमाश आरिफ उर्फ फुसी पुत्र यूनुस थाना अहरौला का हिस्ट्रीशीटर एवं गैंगस्टर एक्ट का अपराधी है।

➡ घटनास्थल को सुरक्षित कर फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई है।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर
2. 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर
3. 01 अदद मोटरसाइकिल

पूछताछ का विवरण-

➡ पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित ढंग से प्रतिबन्धित पशुओं को पकड़कर रात्रि में सुनसान एवं निर्जन स्थानों पर ले जाकर उनका वध कर मांस की बिक्री/उपभोग करता था।

➡ प्रतिबन्धित पशुओं को चिन्हित कर अवसर का लाभ उठाकर पकड़ लेते थे।

➡ वध के बाद पशुओं के अवशेषों को नदी/नालों अथवा सिवान में फेंक देते थे अथवा जमीन में गाड़ देते थे, जिससे अपराध का खुलासा न हो सके।

➡ पुलिस की निगरानी से बचने हेतु अभियुक्त बार-बार स्थान परिवर्तन करते थे तथा अपनी आपराधिक गतिविधियों को गोपनीय रखने का प्रयास करते थे।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 143/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम उ0प्र0 थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0- 149/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

आरिफ उर्फ फुसी पुत्र यूनुस निवासी ग्राम साहपुर सारैन थाना अहरौला जनपद आजमगढ़-

1. मु0अ0सं0 58/2018 धारा 120B/382/506 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 50/2018 धारा 380/458 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 62/2018 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 147/148/149/336/353 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 135/2020 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 278/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 41/2025 धारा 125/303(2) बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 143/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम उ0प्र0 थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी व मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष जय प्रकाश, उ0नि0 ओम प्रकाश दूबे, उ0नि0 राजमणि भारती, आरक्षी रोहित कुमार, रिक्रूट आरक्षी रवि प्रकाश यादव, आरक्षी कमल कुमार, का0 सद्दाम हुसैन, का0 देवकीनन्दन पाल, का0 उदयभान गुप्ता, रि0का0 अवधेश सिंह तथा रि0का0 लोकेश पाण्डेय थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।